 तारा.प्र.क्र. 659 [11/7/2023]
परिशिष्ट "अ"

प्रश्न सं. [क्र. 659]

9. निलम्बन.—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके कि अधीनस्थ वह हो या अनुशासिक प्राधिकारी या उस सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी किसी शासकीय सेवक को.—

(क) जहां उसके विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो या अनुशासिक कार्यवाही लम्बित हो, या

(ख) जहां उसके विरूद्ध किसी भी दाण्डिक अपराध के सम्बन्ध में कोई मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन हो,

निलम्बित कर सकेगा :

/*परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलम्बित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात् उसके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो,*

/परन्तु *यह और भी कि* जहां निलम्बन का आदेश किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो जो नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नस्तर श्रेणी का हो तो ऐसा प्राधिकारी तत्क्षण उन परिस्थितियों की जिनमें कि आदेश दिया गया था, रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को करेगा.

(2) कोई शासकीय सेवक नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा—

(क) उसके निरूद्व किये जाने के दिनांक से यदि उसे, या तो किसी दाण्डिक आरोप पर या अन्यथा, अडतालीस घण्टे से अधिक की कालावधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्व किया गया हो;

(ख) उसे दोषसिद्ध ठहराये जाने के दिनांक से, यदि वह, किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने की दशा में, अडतालीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो, और ऐसी दोषसिद्वि के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत न कर दिया गया हो या सेवा से हटा न दिया गया हो या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त न कर दिया गया हो,

निलम्बित कर दिया गया समझा जायेगा.

व्याख्या.—इस उपनियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट की गयी अडतालीस घण्टे की कालावधि की संगणना दोषसिद्वि के पश्चात्, कारावास के प्रारम्भ से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास की विच्छिन्न कालावधियां, यदि कोई हों, संगणित की जायेगी.

/प्रथम परन्तुक सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–2–96–3–एक, दि. 17.04.1996 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, तथा द्वितीय परन्तुक में शब्द "यह और भी कि" जोडा गया। प्रथम परन्तुक निम्नानुसार था–

"परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलम्बित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में उसके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो."

तदुपरांत अधिसूचना क्र सी–6–1–2007–3–एक, दिनांक 26.02.2007 द्वारा प्रथम परन्तुक में पुनः संशोधन कर उपरोक्तानुसार शब्द "सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात्" जोडते हुऐ प्रतिस्थापित किया गया, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26.02.2007 में प्रकाशित है.

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-3

$ (2–क)   जहां किसी शासकीय सेवक को उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन निलम्बित किया जाय, वहां निलम्बन आदेश में, ऐसा आदेश करने के कारण अन्तर्विष्ट होंगे और जहां ऐसे शासकीय सेवक के विरूद्ध नियम 14 के अधीन जांच करना प्रस्तावित हो वहां नियम 14 के उपनियम (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा ऐसे शासकीय सेवक को आरोप पदों की, अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की और उन दस्तावेजों तथा साक्षियों की, जिनके कि द्वारा प्रत्येक आरोप पद का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, सूची की एक प्रतिलिपि निलम्बन आदेश के दिनांक से 45 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जायेगी या जारी करवाई जायेगी:

परन्तु जहां अनुशासिक प्राधिकारी राज्य सरकार ***# या उच्च न्यायालय*** *हो, वहां आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो कि ऊपर वर्णित की गयी हैं, प्रतिलिपि ऐसे शासकीय सेवक को निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जायेगी या जारी करवाई जायेगी.*

(2–ख) *जहां अनुशासिक प्राधिकारी आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो कि उपनियम (2–क) में निर्दिष्ट की गयी हैं, प्रतिलिपि 45 दिन की कालावधि के भीतर शासकीय सेवक को जारी न करें, वहां अनुशासिक प्राधिकारी उक्त कालावधि के समाप्त होने के पूर्व राज्य शासन से निलम्बन की उक्त कालावधि को बढाने के लिये लिखित में आदेश अभिप्राप्त करेगा:*

परन्तु निलम्बन की कालावधि में, निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि से परे किसी भी दशा में वृद्वि नहीं की जायेगी.

(3) जहां निलम्बित शासकीय सेवक पर पदच्युति, सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित की गयी शास्ति इन नियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन पर अपास्त कर दी जाय और मामला आगे जांच या कार्यवाही के लिये या किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ वापस भेज दिया जाय, वहां उसको निलम्बित किये जाने का आदेश, पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश के दिनांक को तथा से प्रवृत्त बना रहा समझा जायेगा और आगामी आदेश होने तक प्रवृत्त बना रहेगा.

(4) जहां शासकीय सेवक पर पदच्युति, सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की अधिरोपित की गयी शास्ति विधि न्यायालय के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या द्वारा अपास्त कर दी जाय अथवा शून्य घोषित कर दी जाय या शून्य हो जाय और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर अनुशासिक प्राधिकारी, उसके विरूद्ध उन्हीं अभिकथनों पर, जिन पर कि पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी, आगे और जांच करने का विनिश्चय करें वहां शासकीय सेवक, पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेशों के दिनांक से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया गया समझा जायेगा और आगामी आदेश होने तक निलम्बित बना रहेगा.

$ नियम 9 में उपनियम (2–क) एवं (2–ख) उनके परन्तुकों सहित प्रावधान सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–5–81–3–एक, दि. 26.02.1982 द्वारा जोडे गये हैं तथा दि 12.03.1982 के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हैं.

उपनियम (2–क) के परन्तुक में शब्द "या उच्च न्यायालय" सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–3–98–3–एक, दि 20.05.1998 द्वारा जोडा गया जो दि 21.05.1998 के मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित है.

For (हस्ताक्षर)
अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष–3

निरन्तर

(5) (क) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह रूपभेदित या प्रतिसंहृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा रूप भेदित या प्रतिसंहृत न कर दिया जाय:

• परन्तु निलम्बन आदेश के दिनांक से पैंतालीस दिन की कालावधि के समाप्त होने पर निलम्बन आदेश उस स्थिति में प्रतिसंहृत हो जायेगा जबकि आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो उपनियम (2–क) में निर्दिष्ट की गयी हैं, प्रतिलिपि ऐसे शासकीय सेवक को उपनियम (2–ख) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा (यदि वह राज्य सरकार न हो) उक्त दस्तावेजों के जारी करने की कालावधि के बढ़ाये जाने के लिये राज्य सरकार का आदेश अभिप्राप्त किये बिना जारी न की जाय:

• परन्तु यह और भी कि निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि समाप्त होने पर निलम्बन आदेश उस स्थिति में प्रतिसंहृत हो जायेगा जबकि आरोपों की तथा अन्य दस्तावेजों की, जो कि उपनियम (2–क) में निर्दिष्ट की गयी हैं, प्रतिलिपि शासकीय सेवक को जारी न की जाय.

•(ख) ऐसे शासकीय सेवक के सम्बन्ध में, जिसका निलम्बन आदेश खण्ड (क) के प्रथम या द्वितीय परन्तुक के अनुसार प्रतिसंहृत किया गया है, सक्षम प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना समीचीन समझे नियम 14 के उपनियम (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उसको आरोपों की तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि जारी किये जाने के पश्चात् उसे निलम्बित करेगा.

••(ग) जहां शासकीय सेवक को (या तो किसी अनुशासिक कार्यवाही के सम्बन्ध में या अन्यथा) निलम्बित किया गया हो या निलम्बित किया गया समझा गया हो, और उसी निलम्बन के चालू रहने के दौरान कोई अन्य अनुशासिक कार्यवाही उसके विरूद्ध प्रारम्भ की गयी हो, वहां उसे निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, अपने द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यह निर्देश दे सकेगा कि शासकीय सेवक तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक कि ऐसी समस्त कार्यवाहियां या उनमें से कोई भी कार्यवाही समाप्त न हो जाय.

••(घ) इन नियमों के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया निलम्बन आदेश, किसी भी समय, उस प्राधिकारी द्वारा, जिसने वह आदेश दिया हो या जिसके द्वारा वह दिया गया समझा जाता हो या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसके कि अधीनस्थ वह प्राधिकारी हो रूप भेदित या प्रतिसंहृत किया जा सकेगा.

α परन्तु नियम 9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलम्बन आदेश तब तक प्रतिसंहृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके बारे में सरकार द्वारा कारण स्पष्ट करते हुऐ आदेश पारित नहीं कर दिया जाये.

• उपनियम (5)(क) के पश्चात् दोनों परन्तुक तथा पद (ख) सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र.सी–6–5–81–3–एक, दि 26.02.1982 द्वारा जोडे गये हैं तथा दि 12.03.1982 के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हैं तथा इसी अधिसूचना द्वारा

•• पूर्व के खण्ड (ख) तथा (ग) के प्रावधानों को क्रमशः खण्ड (ग) तथा (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया गया.

α सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–2–96–3–एक, दिनांक 17.04.1996 द्वारा उपनियम (5) (घ) के पश्चात् यह परन्तुक जोडा गया.

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

निरन्तर